अनुलग्नक

'ओबीसी और कमजोर वर्ग के बीच उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री रायगा कृष्णैया द्वारा दिनांक 04.02.2026 को पूछे जाने वाले राज्य सभा के प्रश्न संख्या 534 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

1. भारत में पढ़ रहे ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति: इस योजना का उद्देश्य ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के छात्रों को पोस्ट-मैट्रिक या पोस्ट-सेकेंडरी स्तर पर अध्ययन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपनी शिक्षा पूरी कर सकें। सभी मान्यता प्राप्त पोस्ट-मैट्रिक या पोस्ट-सेकेंडरी पाठ्यक्रमों के अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी जो मान्यता प्राप्त संस्थानों / विश्वविद्यालयों / कॉलेजों में दिए जाते हैं। माता-पिता / अभिभावकों की सभी स्रोतों से प्रति वर्ष आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवंटित धनराशि का 30% छात्राओं के लिए और 5% दिव्यांग छात्रों के लिए निर्धारित किया गया है। केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 का साझा अनुपात होगा। पूर्वोत्तर राज्यों और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्यों के लिए, साझाकरण अनुपात 90:10 होगा। विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100% धनराशि केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। राज्य और केंद्र सरकार दोनों से पूरी छात्रवृत्ति राशि, जिसमें शिक्षण शुल्क, शैक्षणिक भत्ता और कोई अन्य स्वीकार्य भत्ता शामिल है, वर्ष 2021-22 से डीबीटी के माध्यम से आधार आधारित भुगतान प्रणाली के माध्यम से छात्रों के खाते में सीधे भुगतान किया जाएगा।

2. ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए कॉलेज में शीर्ष श्रेणी की शिक्षा (वर्ष 2023-24 में शुरू की गई): इस योजना का उद्देश्य कक्षा 12वीं से आगे की पढ़ाई करने के लिए पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करके ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी श्रेणियों से संबंधित छात्रों के बीच गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को पहचानना और बढ़ावा देना है। यह योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अधिसूचित प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सभी संस्थानों में संचालित होगी। सभी आईआईएम / आईआईटी / आईआईआईटी / एम्स / एनआईटी / एनआईएफटी / एनआईडी / भारतीय होटल प्रबंधन संस्थान, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और केंद्र सरकार के अन्य संस्थान इस योजना में शामिल होने के पात्र होंगे। माता-पिता / अभिभावकों की सभी स्रोतों से आय प्रति वर्ष 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। संस्था को आवंटित स्लॉटों का 30% उनकी इंटर-सी योग्यता के अनुसार योग्य छात्राओं के लिए आरक्षित किया जाएगा।

3. अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) के लिए विदेश में पढ़ाई के लिए शैक्षिक ऋण पर डॉ. अम्बेडकर केंद्रीय ब्याज सब्सिडी क्षेत्र योजना: इस योजना का उद्देश्य विदेश में एम.फिल और पीएचडी स्तर के अनुमोदित पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए विदेशी अध्ययन के लिए शिक्षा ऋण के लिए अधिस्थगन की अवधि के लिए देय ब्याज पर ओबीसी और ईबीसी से संबंधित छात्रों को ब्याज सब्सिडी प्रदान करना है। यह योजना

अखिल भारतीय आधार पर क्रियान्वित की जाती है जिसमें ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों सहित सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के सभी पात्र उम्मीदवार शामिल हैं।

4. कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए पीएम-यूएसपी केंद्रीय क्षेत्र छात्रवृत्ति योजना: इस योजना के तहत, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए गरीब और मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जो छात्र कक्षा 12 में सफल उम्मीदवारों के शीर्ष 20वें प्रतिशतक में हैं और जिनकी पारिवारिक आय प्रति वर्ष 4.5 लाख रुपये तक है, वे आवेदन करने के लिए पात्र हैं। एक वर्ष में, 82,000 नए छात्रवृत्ति स्लॉट उपलब्ध हैं। इन्हें 18-25 वर्ष के आयु वर्ग में राज्य की जनसंख्या के आधार पर राज्य शिक्षा बोर्डों के बीच विभाजित किया गया है। 50% छात्रवृत्ति स्लॉट छात्राओं के लिए निर्धारित हैं। इस योजना के तहत केंद्रीय आरक्षण नीति का पालन किया जा रहा है, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 15% सीटें, अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% और बेंचमार्क दिव्यांगता वाले छात्रों के लिए योजनाबद्ध मानदंडों के अनुसार 5% क्षैतिज आरक्षण निर्धारित किया गया है। यह योजना दिनांक 1.1.2013 से डीबीटी के तहत शामिल की गई है, जिसमें छात्रवृत्ति सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में वितरित की जाती है। सीएसएसएस ने 1.8.2015 से प्रभावी राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (www.scholarships.gov.in) पर ऑन-बोर्ड किया है।

5. जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख के लिए पीएम-यूएसपी विशेष छात्रवृत्ति योजना: यह योजना विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख (जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के लिए एसएसएस) के लिए है और इसका उद्देश्य जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख के युवाओं को इन संघ राज्य क्षेत्रों के बाहर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि उनके कौशल को बढ़ाया जा सके, जिससे उन्हें देश के बाकी हिस्सों के अपने समकक्षों के साथ बातचीत करने का अवसर मिलेगा और उन्हें मुख्यधारा का हिस्सा बनने में मदद मिलेगी। प्रत्येक वर्ष 5000 नई छात्रवृत्तियां (सामान्य डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए 2070, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए 2830 और मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए 100) प्रदान की जाती हैं । आरक्षण नीति जम्मू-कश्मीर के संघ राज्य क्षेत्र द्वारा निर्धारित योजना, अर्थात अनुसूचित जातियों के लिए 8%, अनुसूचित जनजातियों के लिए 10% और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) के लिए 22%, आर्थिक और कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10% और योजनाबद्ध मानदंडों के अनुसार बेंचमार्क दिव्यांगता वाले छात्रों के लिए क्षैतिज आरक्षण के तहत अपनाई जाती है। यह योजना डीबीटी के अंतर्गत शामिल की जाती है जिसमें छात्रवृत्ति सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में वितरित की जाती है। छात्रों को एआईसीटीई वेब पोर्टल - www.aicte-jk- scholarship-gov.in/ और एनएसपी पोर्टल (https://scholarships.gov.in/Students) पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

6. पीएम-यूएसपी केंद्रीय क्षेत्र की ब्याज सब्सिडी योजना: इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), जिसमें अल्पसंख्यक, एससी / एसटी, महिलाएं और दिव्यांग शामिल हैं, में से किसी को भी केवल इस कारण से पेशेवर उच्चतर शिक्षा से वंचित

न किया जाए कि वह गरीब है। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों या राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) या राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों या केंद्रीय वित्त पोषित तकनीकी संस्थानों (सीएफटीआई) द्वारा मान्यता प्राप्त व्यावसायिक / तकनीकी कार्यक्रमों में नामांकित छात्र पात्र हैं। वे पेशेवर संस्थान / कार्यक्रम जो एनएएसी या एनबीए के दायरे में नहीं आते हैं, उन्हें संबंधित नियामक निकाय की मंजूरी की आवश्यकता होती है। ब्याज सब्सिडी केवल एक बार स्नातक या स्नातकोत्तर या एकीकृत पाठ्यक्रमों के लिए स्वीकार्य है। इस योजना का उद्देश्य ईडब्ल्यूएस से संबंधित उन सभी छात्रों को शामिल करना है, जिनके माता-पिता / परिवार की वार्षिक आय प्रति वर्ष ₹ 4.5 लाख तक है। इस योजना के तहत, भारतीय बैंक संघ (आईबीए) की मॉडल शैक्षिक ऋण योजना और नई शुरू की गई पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना के तहत सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित अनुसूचित बैंकों से ₹ 10.0 लाख तक के शैक्षिक ऋण पर अधिस्थगन अवधि (पाठ्यक्रम अवधि और एक वर्ष) के दौरान पूर्ण ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है। केनरा बैंक इस योजना के लिए नोडल बैंक है। ब्याज सब्सिडी दावों का वितरण प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से छात्र के शिक्षा ऋण खाते में किया जाता है। प्रत्येक वर्ष केनरा बैंक द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल खोला जाता है ताकि सदस्य बैंक मासिक आधार पर ब्याज सब्सिडी के दावों को प्रस्तुत कर सकें।

7. **पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना (2024 में शुरू की गई):** नवंबर 2024 में, भारत सरकार ने एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना पीएम-विद्यालक्ष्मी शुरू की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी छात्र को वित्तीय बाधाओं के कारण उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के अवसर से वंचित न किया जाए। इस योजना के तहत, सभी छात्रों को संपार्श्विक-मुक्त और गारंटर-मुक्त शिक्षा ऋण प्रदान किया जाता है, जो शीर्ष गुणवत्ता वाले उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं (क्यूएचईआई) में योग्यता-आधारित प्रवेश प्राप्त करते हैं और जो शिक्षा ऋण का लाभ उठाना चाहते हैं और इसके लिए कोई ऊपरी सीमा नहीं है। इसके अतिरिक्त, ₹ 8 लाख तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों के लिए, योजना ₹ 10 लाख तक के ऋण पर 3% ब्याज सहायता प्रदान करती है। एक लाख तक उन नए छात्रों को जिन्हें कोई अन्य छात्रवृत्ति या शिक्षा ऋण पर ब्याज छूट नहीं मिल रही है, उन्हें यह ब्याज छूट मिलेगी। इस अवधि के दौरान 7 लाख नए छात्रों के लिए 3% ब्याज सहायता लाभ प्रदान करने के लिए 2024-25 से 2030-31 तक 3,600 करोड़ रुपये का परिव्यय किया गया है।